14/2/20

पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नहीं। वादी व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से काम [illegible] बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।